रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2004] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 29, 2014/आश्विन 7, 1936
No. 2004] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 29, 2014/ASVINA 7, 1936

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2014

का.आ. 2539(अ).—गंगा नदी के भौगोलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक – सांस्कृतिक और आर्थिक कारणों से अद्वितीय महत्व की होने के कारण उसे राष्ट्रीय नदी की प्रास्थिति दी गई है;

और, गंगा नदी तीव्र शहरीकरण और औद्योगीकरण के कारण से मल बहिस्राव, व्यापार सम्बन्धी बहिस्राव और अन्य प्रदूषकों के उत्सर्जन की बढ़ती मात्रा के कारण गंभीर खतरे का सामना कर रही है;

और, जनसंख्या, शहरीकरण, औद्योगीकरण और अवसंरचना में बढ़ोतरी के कारण सिंचाई, पेय प्रयोजनो, औद्योगिक उपयोग और विद्युत हेतु नदी जल की मांग बढ़ती जा रही है और प्रतिस्पर्धा मांगों को पूरा करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए;

और, निम्नलिखित करने की अत्यावश्यकता है:-

(क) वृहत् योजना और प्रबंधन के लिए अंतर-क्षेत्रीय समन्वय को प्रोन्नत करने हेतु नदी बेसिन के दृष्टिकोण को अपनाकर गंगा नदी के प्रदूषण के प्रभावी उपशमन को और संरक्षण को सुनिश्चित करना; और

(ख) जल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गंगा नदी में न्यूनतम पारिस्थितिकीय बहाव और पर्यावरण की दृष्टि से सतत विकास बनाए रखना;

और, गंगा नदी के प्रदूषण के प्रभावी उपशमन और संरक्षण के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के सामुहिक प्रयासों को सुदृढ़ करने के लिए एक योजना, वित्त पोषण, मॉनिटरी और समन्वय प्राधिकरण की आवश्यकता है;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का.आ. 521 (अ) तारीख 20 फरवरी, 2009 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अतिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, गंगा नदी के प्रदूषण का प्रभावी उपशमन करने और संरक्षण के उपाय करने के लिए राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन का गठन करती है।

1. **प्राधिकरण का नाम –** इस अधिसूचना के अधीन गठित प्राधिकरण 'राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण' (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) के नाम से ज्ञात होगा।

2. प्राधिकरण का गठन – (1) प्राधिकरण निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा अर्थात्:-

(क)	प्रधानमंत्री	अध्यक्ष;
(ख)	संघ का जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री	उपाध्यक्ष;
(ग)	संघ का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री	सदस्य;
(घ)	संघ का वित्त मंत्री	सदस्य;
(ड.)	संघ का शहरी विकास मंत्री	सदस्य;
(च)	संघ का विद्युत मंत्री	सदस्य;
(छ)	संघ का विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री	सदस्य;
(ज)	संघ का ग्रामीण विकास मंत्री	सदस्य;
(झ)	संघ का पेयजल और स्वच्छता मंत्री	सदस्य;
(ञ)	संघ का पोत परिवहन मंत्री	सदस्य;
(ट)	संघ का पर्यटन राज्य मंत्री	सदस्य;
(ठ)	उपाध्यक्ष, योजना आयोग	सदस्य;
(ड)	मुख्यमंत्री, उत्तराखंड	सदस्य;
(ढ)	मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश	सदस्य;
(ण)	मुख्यमंत्री, बिहार	सदस्य;
(त)	मुख्यमंत्री, झारखंड	सदस्य;
(थ)	मुख्यमंत्री, पश्चिमी बंगाल	सदस्य; और
(द)	सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	सदस्य-सचिव

(2) प्राधिकरण, उन राज्यों से जिन्हें उपपैरा (1) में प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है और जिनमें गंगा नदी की ऐसी प्रमुख सहायक नदियां हैं, जिससे गंगा नदी की जलगुणवत्ता के प्रभावित होने की संभावना है, किसी एक या अधिक मुख्यमंत्रियों को सदस्य के रूप में सहयोजित कर सकेगा;

(3) प्राधिकरण, संघ के एक या अधिक मंत्रियों को भी यदि आवश्यक समझें, सदस्य के रूप में सहयोजित कर सकेगा;

IndiaCode

(4) प्राधिकरण ऐसे दस से अनधिक ऐसे सदस्यों को जो नदी संरक्षण जल विज्ञान, पर्यावरणीय अभियांत्रिकी, जन–जागरण और अन्य सुसंगत क्षेत्रों के विशेषज्ञ हों, सदस्य के रूप में सहयोजित कर सकेगा।

परन्तु इस प्रकार सहयोजित विशेषज्ञ सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा, जिसे प्राधिकरण द्वारा उतनी अवधि तक बढ़ाया जा सकता है जितनी वह आवश्यक समझे।

(5) प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

3. **प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्य.** – (1) उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्राधिकरण को ऐसे सभी उपाय करने और कृत्यों का निर्वाहन करने की शक्ति होगी, जिन्हें वह गंगा नदी के प्रदूषण के प्रभावी उपशमन और संरक्षण के लिए तथा सतत विकास की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक अथवा समीचीन समझे।

(2) विशिष्टतयां और उप-पैरा (1) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे उपायों में बेसिन क्षेत्र में निम्नलिखित उपायों में से सभी या कोई उपाय सम्मिलित होंगे, अर्थात्:-

(क) गंगा नदी की जलगुणवत्ता को बनाए रखने और उसमें नदी बेसिन प्रबंधन योजना के विकास तथा उसमें होने वाले प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और उपशमन के लिए लक्षित क्रियाकलापों को विनियमित करना और ऐसे अन्य उपाय करना, जो गंगा बेसिन राज्यों में नदी पारिस्थितिकी और प्रबंधन से सुसंगत हो;

(ख) जल की गुणवत्ता और पर्यावरण की दृष्टि से सतत विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गंगा नदी में न्यूनतम पारिस्थितिकीय बहावों का अवधारण और रक्षण;

(ग) गंगा नदी में पदूषण के उपशमन, जिसके अंतर्गत मलवहन अवसंरचना, जलागम क्षेत्र उपचार का प्रसारण भी है, बाढ़ वाले मैदानों को संरक्षण, जन जागृति पैदा करने, जलीय जीवन और जैव-विविधता संरक्षण संबंधी कार्यक्रमों की योजना बनाने; वित्त पोषण करने और उन्हें निष्पादित करने के लिए आवश्यक उपाय करना और पर्यावरण की दृष्टि से सतत नदी संरक्षण को प्रोन्नत करने के अन्य उपाय करना;

(घ) गंगा नदी में पर्यावरणीय प्रदूषण से संबंधित सूचना का संग्रहण, विश्लेषण और प्रसार करना;

(ङ) गंगा नदी के पर्यावरणीय प्रदूषण और संरक्षण की समस्याओं से संबंधित अन्वेषण और अनुसंधान;

(च) प्राधिकरण में निहित कार्यों के क्रियान्वयन के लिए यथा उचित, विशेषज्ञ प्रयोजन यानों का सृजन;

(छ) जल संरक्षण पद्धतियों, जिनके अंतर्गत पुनर्चक्रण और पुनर्प्रयोग भी है, वर्षा जल संचयन और विकेन्द्रीकृत मलवहन शोधन प्रणालियों को प्रोन्नत करना;

(ज) गंगा नदी में प्रदूषण निवारण, नियंत्रण और उपशमन के लिए किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों अथवा क्रियाकलापों के क्रियान्वयन को मॉनिटर करना और उसका पुनर्विलोकन; और

(झ) उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन उपर्युक्त सभी अथवा किन्हीं कृत्यों का प्रयोग और अनुपालन करने के प्रयोजन के लिए निदेश जारी करना और ऐसे अन्य उपाय करना, जिन्हें प्राधिकरण अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक अथवा समीचीन समझे।

(3) प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्य किसी केन्द्रीय अथवा राज्य अधिनियम के अधीन राज्यों को प्रदत्त ऐसी किन्हीं शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होंगे, जो पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों से असंगत न हों।

(4) प्राधिकरण राज्य सरकारों और उनके संस्थानों के सहयोग एवं उनके साथ समन्वय करते हुए उप-पैरा (1) और उप-पैरा (2) में उल्लिखित विनियामक और विकासात्मक कृत्यों को करेगा।

4. **प्राधिकरण की बैठकें –** (1) प्राधिकरण, अपनी बैठकों सहित, अपने कार्य संचालन के लिए अपनी स्वयं की प्रक्रियाएं विनियमित कर सकेगा।

(2) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष प्राधिकरण की बैठकों की अध्यक्षता करेगा और उसकी कार्यवाही का संचालन करेगा।

(3) उपाध्यक्ष को, प्राधिकरण की दो बैठकों के आयोजन के बीच ऐसे विनिश्चय करने की शक्ति होगी जो प्राधिकरण को अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हों और ऐसा अगली बैठक में उसके अनुसमर्थन के अध्यधीन होगा।

5. **प्राधिकरण की अधिकारिता –** गंगा नदी के प्रदूषण के प्रभावी उपशमन और संरक्षण के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण की अधिकारिता उन राज्यों तक, जिनसे होकर गंगा नदी बहती है, अर्थात् उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिमी बंगाल और ऐसे अन्य राज्यों तक, जो प्राधिकरण विनिश्चय करे, जिनमें गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं, और विस्तारित होगी।

6. **गंगा नदी के प्रदूषण के प्रभावी उपशमन और संरक्षण को मानीटर करना –** प्राधिकरण गंगा नदी के प्रदूषण के प्रभावी उपशमन और संरक्षण को मानीटर करने के लिए अपना स्वयं का तंत्र विकसित कर सकेगा और उक्त प्रयोजन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन उसके लिए निदेश जारी कर सकेगा।

7. **प्राधिकरण की समग्र निधि –** केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी परियोजनाओं, कार्यक्रमों और अन्य क्रियाकलापों जो प्राधिकरण द्वारा विनिश्चित किए जाएं, को क्रियान्वित करने के लिए उपलब्ध कराई गई एक समग्र निधि होगी।

8. **प्राधिकरण को प्रशासनिक और तकनीकी समर्थन –** (1) प्राधिकरण को जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, जो कि नोडल मंत्रालय होगा, केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रशासनिक और तकनीकी समर्थन उपलब्ध कराया जाएगा।

(2) प्राधिकरण अपने विनिश्चयों के क्रियान्वयन के लिए एक समुचित तंत्र विकसित कर सकेगा।

9. **राज्य नदी संरक्षण प्राधिकरणों का गठन –** संबंधित राज्य सरकारें राज्य स्तर पर गंगा नदी संरक्षण क्रियाकलापों में सहयोग, उनके समन्वय और क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ऐसी संरचना और शक्तियों सहित, जैसी वह उचित समझे, राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण गठित करेंगी।

10. **राज्य में वृहत् प्रबंधन –** राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई एकीकृत बेसिन प्रबंधन योजना और किए गए विनिश्चयों के आधार पर, राज्य सरकारें अपने-अपने प्राधिकरणों के माध्यम से राज्यों में नदी के वृहत् प्रबंधन के लिए कदम उठाएंगी।

[फा. सं. एन.सी.-06/2014-15/393/एनएमसीजी/एनजीआरबीए-सेल]

राजीव रंजन मिश्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2014

S.O. 2539(E).—Whereas the river Ganga is of unique importance ascribed to reasons that are geographical, historical, socio-cultural and economic giving it the status of a national river;

And whereas the river Ganga has been facing serious threat due to discharge of increasing quantities of sewage effluents, trade effluents and other pollutants on account of rapid urbanization and industrialization;

And whereas, the demand for river water is growing for irrigation, drinking purposes, industrial use and power due to increase in population, urbanisation, industrialisation and growth in infrastructure, and taking into account the need to meet competing demands;

And whereas there is urgent need, --

(a) to ensure effective abatement of pollution and rejuvenation of the river Ganga by adopting a river basin approach to promote inter-sectoral co-ordination for comprehensive planning and management; and
(b) to maintain minimum ecological flows in the river Ganga with the aim of ensuring water quality and environmentally sustainable development;

And whereas it is required to have a planning, financing, monitoring and coordinating authority for strengthening the collective efforts of the Central Government and the State Governments for effective abatement of pollution and rejuvenation of the river Ganga;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-sections (1) and (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), and in supersession of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 521(E), dated the 20th February, 2009, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby constitutes the National Ganga River Basin Authority for taking measures for effective abatement of pollution and rejuvenation of the river Ganga, namely :-.

1. Name of the Authority:– The Authority constituted under this notification shall be know as the "National Ganga River Basin Authority" (hereinafter referred to as the Authority).

2. Composition of Authority: – (1) The Authority shall consist of the following members, namely:—

(a)	Prime Minister	—Chairperson;
(b)	Union Minister for Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation	—Vice Chairperson;
(c)	Union Minister for Environment, Forest and Climate Change	—Member;
(d)	Union Minister for Finance	—Member;
(e)	Union Minister for Urban Development	—Member;
(f)	Union Minister for Power	—Member;
(g)	Union Minister for Science and Technology	—Member;
(h)	Union Minister for Rural Development	—Member;
(i)	Union Minister for Drinking Water and Sanitation	—Member;
(j)	Union Minister for Shipping	—Member;
(k)	Union Minister of State, Tourism	—Member;
(l)	Deputy Chairman, Planning Commission	—Member;
(m)	Chief Minister, Uttarakhand	—Member;
(n)	Chief Minister, Uttar Pradesh	—Member;
(o)	Chief Minister, Bihar	—Member;

(p)	Chief Minister, Jharkhand	—Member;
(q)	Chief Minister, West Bengal	—Member; and
(r)	Secretary in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation	—Member Secretary

(2) The Authority may co-opt one or more Chief Ministers from the States not represented in sub-paragraph (1), having major tributaries of the river Ganga, which are likely to affect the water quality in the river Ganga, as Member.

(3) The Authority may also co-opt one or more Union Ministers, if it considers necessary, as Member.

(4) The Authority may also co-opt not exceeding ten persons, who are experts in the fields of river rejuvenation, hydrology, environmental engineering, social mobilisation and other relevant fields, as Members.

Provided that the term of the expert members so co-opted shall be for a period of two years, which may be extended by the Authority for such period, as it may consider necessary.

(5) The headquarters of the Authority shall be at New Delhi.

3. Powers and Functions of Authority:-- (1) Subject to the provisions of the said Act, the Authority shall have the power to take all such measures and discharge functions as it deems necessary or expedient for effective abatement of pollution and rejuvenation of the river Ganga in keeping with sustainable developmental needs.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the provisions of sub-paragraph (1), such measures may include measures with respect to all or any of the following matters in the basin area, namely:—

(a) Development of river basin management plan and regulation of activities aimed at the prevention, control and abatement of pollution in the river Ganga to maintain its water quality, and to take such other measures relevant to river ecology and management in the Ganga Basin States;

(b) Determination and maintenance of minimum ecological flows in the river Ganga with the aim of ensuring water quality and environmentally sustainable development;

(c) Measures necessary for planning, financing and execution of programmes for abatement of pollution in the river Ganga including augmentation of sewerage infrastructure, catchment area treatment, protection of flood plains, creating public awareness, conservation of aquatic life and biodiversity and such other measures for promoting environmentally sustainable river rejuvenation;

(d) Collection, analysis and dissemination of information relating to environmental pollution in the river Ganga;

(e) Investigation and research regarding problems of environmental pollution and rejuvenation of the river Ganga;

(f) Creation of special purpose vehicles, as appropriate, for implementation of works vested with the Authority;

(g) Promotion of water conservation practices including recycling and reuse, rain water harvesting, and decentralized sewage treatment systems;

(h) Monitoring and review of the implementation of various programmes or activities taken up for prevention, control and abatement of pollution in the river Ganga; and

(i) Issuance of directions under Section 5 of the said Act for the purposes of exercising and performing all or any of the above functions and to take such other measures as the Authority deems necessary or expedient, for achievement of its objectives.

(3) The powers and functions of the Authority shall be without prejudice to any of the powers conferred upon the States under any Central or State Act, being not inconsistent with the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986).

(4) The Authority shall exercise its regulatory and developmental functions as stated in sub-paragraphs (1) and (2) in co-operation and co-ordination with the State Governments and their institutions.

4. Meetings of Authority:—(1) The Authority may regulate its own procedure for transacting its business including its meetings.

(2) The Vice Chairperson shall preside over the meetings of the Authority and conduct its business in absence of the Chairperson.

(3) The Vice Chairperson shall have the power to take decisions necessary for the Authority to achieve its objectives, in between the conduct of two meetings of the Authority, subject to ratification in the next meeting.

5. Jurisdiction of Authority:—The jurisdiction of the Authority shall extend to the States through which the river Ganga flows, namely, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand and West Bengal and such other States, having major tributaries of the river Ganga, as the Authority may decide for the purposes of effective abatement of pollution and rejuvenation of the river Ganga.

6. Monitoring of effective abatement of pollution and rejuvenation of river Ganga: -- The Authority may evolve its own mechanism for monitoring of effective abatement of pollution and rejuvenation of the river Ganga and issue directions thereof, under Section 5 of the said Act, for the said purpose.

7. Corpus of Authority: -- There shall be a corpus of funds provided by the Central Government for implementing such projects, programmes and other activities as may be decided by the Authority.

8. Administrative and technical support to Authority: -- (1) The Authority shall be provided administrative and technical support by Central Government in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation which shall be the nodal Ministry.

(2) The Authority may evolve an appropriate mechanism for implementation of its decisions.

9. Constitution of State River Conservation Authorities :-- The State Governments concerned shall constitute a State Ganga River Conservation Authority under the Chairmanship of the Chief Minister with such composition and such powers as it deems fit, for co-operating, co-ordinating and implementing the river rejuvenation activities at the State level.

10. Comprehensive management in the State: -- Based on the integrated basin management plan drawn and decisions taken by the National Ganga River Basin Authority, the State Governments shall take steps for comprehensive management of the river in the States through their respective Authorities.

[F. No. NC-06/2014-15/393/NMCG/NGRBA Cell]

RAJIV RANJAN MISHRA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.